



---

नागरिक चार्टर

CITIZEN CHARTER

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

COCHIN SHIPYARD LIMITED

---



जनवरी / JANUARY 1, 2019

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / COCHIN SHIPYARD LIMITED

प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची - 682015

ADMINISTRATIVE BUILDING, COCHIN SHIPYARD PREMISES, PERUMANOOR, KOCHI - 682015

## **1. ऐतिहासिक भूमिका / HISTORICAL BACKGROUND**

दिसंबर 1956 में, भारत सरकार की एक समिति ने विशिष्ट प्रकार के पोतों और पोतों के कुल उत्पादन के संबंध में अपनी सिफारिशें कीं, जिसके अनुसार दूसरे शिपयार्ड की योजना बनाई जानी चाहिए। यह यूके शिपयार्ड मिशन था जिसने वर्ष 1958 में देश के कई स्थलों का दौरा करने के बाद कोच्ची को दूसरे शिपयार्ड के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में सिफारिश की थी। एक अंतर-विभागीय समिति जिसने यूके शिपयार्ड मिशन की रिपोर्ट की जांच की और इस सिफारिश का समर्थन किया। सरकार ने निर्णय लिया कि प्रस्तावित स्थान में मिट्टी की जांच के परिणामों को संतोषजनक साबित करते हुए, दूसरा शिपयार्ड यूके, शिपयार्ड मिशन द्वारा सिफारिश किए स्थल पर कोचीन में स्थित होना चाहिए।

In December 1956, a GOI committee made its recommendations in regard to the specific type of ships and the total output of ships for which the second shipyard should be planned. It was the U K Shipyard Mission which after visiting a number of sites in the country in 1958 recommended Cochin as a most suitable location for the second shipyard. An inter-departmental committee which examined the report of the U K Shipyard Mission endorsed this recommendation. Government decided that subject to the results of the proposed further soil investigations proving satisfactory, the second shipyard should be located at Cochin at the site recommended by the UK, Shipyard Mission.

इस निर्णय के बाद, वर्ष 1962 के अंत में, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, जापान (एमएचआई), ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम को साइट का निरीक्षण करने और कोचीन में एक दूसरे शिपयार्ड के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए भेजा। फरवरी 1965 में, शिपयार्ड के निर्माण, बुनियादी सर्वेक्षण के आधार पर निर्माण और अनुमान तथा शिपयार्ड के निर्माण के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी सहित प्रारंभिक डिज़ाइन की तैयारी हेतु एक बुनियादी सर्वेक्षण के संचालन के लिए एमएचआई के साथ एक अनुबंध में हस्ताक्षर किया गया। मै. एमएचआई ने अप्रैल 1966 में प्रस्तुत अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दो आकारों के बल्क कैरियर जैसे कि 53,000 डीडब्ल्यूटी और 33,000 डीडब्ल्यूटी के साथ शिपयार्ड में उत्पादन की सिफारिश की गई। उन्होंने 9 साल की अवधि के दौरान दो चरणों में शिपयार्ड के निर्माण की परिकल्पना की थी।

Following this decision, in the late 1962, Mitsubishi Heavy Industries, Japan (MHI), sent a team of technical experts to inspect the site and formulate proposals for a second shipyard at Cochin. In February 1965, a contract was entered into with the MHI for the conduct of a basic survey for the construction of the shipyard, preparation of preliminary design including estimation and the construction cost based on the basic survey and preparation of a project report for the construction of a shipyard. Ms MHI in their detailed Project Report submitted in April 1966, recommended production in the shipyard of two sizes of bulk carriers, namely, 53,000 DWT and 33,000 DWT. They had envisaged the construction of the Shipyard in two phases to be spread over a period of 9 years.

उपरोक्त के बाद, बल्क कैरियर/ टैंकर के आकार में दुनिया की प्रवृत्ति, भारतीय समुद्री व्यापार का स्वरूप, भारत में उपलब्ध होनेवाली पत्तन सुविधाएं और भारतीय नौवहन की भविष्य की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1967 में कोचीन शिपयार्ड में निर्मित किए जानेवाले पोतों के आकार की समीक्षा की गई थी। तदनुसार 255 मीटर x 43 मीटर x 9 मीटर के गोदी आकार के साथ 66000 डीडब्ल्यूटी के पोतों के लिए निर्माण गोदी और 270 मीटर x 45 मीटर x 12 मीटर के गोदी आकार के साथ 85000 डीडब्ल्यूटी के पोतों को समायोजित करने का पोत मरम्मत गोदी के निर्माण का परिकल्पना करते हुए एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। निर्णय के आधार पर, 01 अक्टूबर 1970 को मेसर्स मिट्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान के साथ एक औपचारिक ठेका किया गया। इस प्रकार, शिपयार्ड परियोजना को दिनांक 01 अक्टूबर, 1970 से शुरू माना जा सकता है।

Subsequent to the above, the size of ships to be built in the Cochin Shipyard was reviewed in the year 1967 in the light of the world trend in the size of bulk carriers/ tankers, the pattern of India's seaborne trade, the port facilities expected to be available in India and the future requirements of Indian shipping. Accordingly revised project report was prepared envisaging construction of a building dock for ships of 66000 DWT with a dock size of 255m x 43m x 9 m and a ship repair dock to accommodate ships of 85000 DWT with a dock size of 270m x 45m x 12m. Based on the decision a formal contract was entered into with M/s Mitsubishi Heavy Industries Limited, Japan, effective from 01 October 1970. Thus, the shipyard project may be deemed to have begun from October 01, 1970.

## **2. निगमन / INCORPORATION:**

परियोजना जैसा कि ऊपर पैरा 1 में बताया गया था, की संकल्पना के बाद, सीएसएल परियोजना संगठन की स्थापना मुख्य परियोजना अधिकारी - प्रभारी के साथ की गई थी, जिसकी कुल संख्या 236 थी, जिनमें 40 राजपत्रित कार्मिक थे। यह संगठन पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ सरकारी कार्यालय था।

After the conception of the project as brought out in para 1 above, the CSL project organization was set up with the Chief Project Officer in charge with a total strength of 236 of whom 40 were gazetted personnel. This organization was a subordinate government office under the Ministry of Shipping.

इसके बाद परिचालन सुविधा और एक उचित वाणिज्यिक संगठन की स्थापना के लिए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को दिनांक 29 मार्च, 1972 को एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी थी।

Subsequently for operational convenience and also for setting up of a proper commercial organization, Cochin Shipyard Limited was incorporated on March 29, 1972 as a private limited company wholly owned by Government of India

### **3. कॉर्पोरेट स्थिति / CORPORATE STATUS**

कोचीन शिपयार्ड वर्तमान में पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन एक अनुसूची बी और श्रेणी - I मिनीरत्न कंपनी है। कंपनी के इक्विटी शेयरों को अगस्त 2017 में बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध किया गया है।

Cochin Shipyard is presently a Schedule B and Category – I Miniratna Company under the Ministry of Shipping. The equity shares of the Company have been listed in BSE and NSE in August 2017.

### **4. पंजीकृत कार्यालय / REGISTERED OFFICE**

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, एर्नाकुलम, केरल- 682015 में स्थित है ।

The registered office of the company is situated at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulum, Kerala – 682015.

### **5. व्यवसाय के क्षेत्र और संगठन / BUSINESS SEGMENTS AND ORGANIZATION**

**व्यवसाय के क्षेत्र / Business Segments:** कोचीन शिपयार्ड विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहा है, जैसे कि वाणिज्यिक पोत निर्माण, रक्षा पोत निर्माण, वाणिज्यिक पोत मरम्मत, रक्षा पोत मरम्मत और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण । कंपनी ने वर्ष 1978 में पोत निर्माण संचालन, वर्ष 1981 में पोत मरम्मत और वर्ष 1993 में समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण शुरू किया ।

Cochin Shipyard is operating in various maritime segments viz. Commercial Shipbuilding, Defence Shipbuilding, Commercial Ship repair, Defence Ship repair and Marine Engineering Training. The company commenced shipbuilding operations in the year 1978, Ship repair in 1981 and Marine Engineering Training in the year 1993.



**संगठन / Organization:** वर्तमान में सीएसएल में 1755 कुल स्थायी कर्मचारी हैं जिनमें 339 कार्यपालक, 157 पर्यवेक्षक और 1259 कर्मचारी शामिल हैं ।

Presently the total permanent employees in CSL is 1755 consisting of 339 Executives, 157 Supervisors and 1259 Workmen.

### **संगठनात्मक संरचना / Organisational Structure:**

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का एक उपक्रम है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल की एक टीम द्वारा निदेशित किया जाता है। सीएमडी सहित कंपनी के निदेशकों की संख्या 12 है, जिसमें 4 पूर्णकालिक सरकारी निदेशक, 2 सरकारी अंशकालिक निदेशक और 6 गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक हैं।

Cochin Shipyard Limited is a Government of India Undertaking under the Administrative control of the Ministry of Shipping. The Chairman and Managing Director (CMD) is guided by a team of Board of Directors, appointed by the President of India. The normal strength of the Directors of the Company, including the CMD, is 12 consisting of 4 whole-time official Directors, 2 official part-time Directors and 6 non-official part-time (Independent) Directors.



## **विभिन्न विभाग के कार्य / Functions of various department**

### **पोत निर्माण / Shipbuilding**

(क) ठेके के अनुसार समय पर पूरा होने और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर देने के साथ सभी पोत निर्माण परियोजनाओं की योजना और निष्पादन।

Planning and Execution of all shipbuilding projects, with emphasis on timely completion and maintaining quality as per contracts.

(ख) अनुकूलतम रिटर्न के लिए विभिन्न पोत निर्माण परियोजनाओं के बीच उचित रूप से संसाधनों का आबंटन।

Allocation of resources appropriately among the different shipbuilding projects for optimum returns.

(ग) पोत निर्माण आनुषंगिकों की पहचान और विकास।

Identification and development of shipbuilding ancillaries.

(घ) परियोजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए मुख्य क्षेत्रों में पोत निर्माण कौशल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के कुशलता विकास केंद्र के साथ समन्वय।  
Coordinate with the company's skill development centre to ensure that there is availability of shipbuilding skills in core areas for proper execution of projects.

(ङ) सुचारु संचालन के लिए संयंत्र और मशीनरी सहित पोत निर्माण परिसंपत्तियों का उचित रखरखाव।

Proper maintenance and upkeep of shipbuilding assets including plant and machinery for smooth operations.

(च) समय पर पूरा होने और गुणवत्ता पर जोर देने के साथ स्वदेशी वायुयान वाहक परियोजना की योजना और निष्पादन।

Planning and execution of the Indigenous Aircraft Carrier project with emphasis on timely completion and quality

### **वित्त और लेखा विभाग / Finance and Accounts Department:**

(क) कॉर्पोरेट लेखा / Corporate Accounts;

(ख) कॉर्पोरेट बजट / Corporate budget;

(ग) परियोजना / कैपेक्स वित्तीयन/Project/ CAPEX financing

(घ) ठेके की वित्तीय जांच सहित राजस्व लेखा ;

Revenue accounts including financial vetting of contracts ;

(ड) निधि प्रबंधन / Funds Management ;

(च) सेवा कर और अन्य अप्रत्यक्ष करों सहित कॉर्पोरेट कराधान ;  
Corporate Taxation including Service Tax and other indirect taxes;

(छ) आंतरिक, संवैधानिक और सरकारी लेखापरीक्षा के साथ समन्वय ;  
Coordination with Internal, Statutory and Government Audits;

(ज) उचित बीमा करार के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन ;  
Management of risks through entering into of appropriate insurance agreements;

(झ) भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन / MOU with Government of India ;

(ञ) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य : संवैधानिक, सरकारी लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ समन्वय ।

Internal Audit Functions: Coordination with Statutory, Government Auditors and Internal Auditors.

### **सूचना प्रणाली / Information System:**

(क) सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, विकास, प्रापण और अनुरक्षण सहित एसएपी से उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) के कार्यान्वयन समर्थन और प्रबंधन ;  
Implementation support and management of enterprise resource planning (ERP) Software from SAP including Software Design, Development, Procurement and Maintenance;

(ख) डाटा सेंटर हार्डवेयर और नेटवर्क प्रबंधन (एलएएन/डब्ल्यूएन) ;  
Data centre hardware and network management (LAN/WAN);

(ग) आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (सर्वर, पीसी आदि) की खरीद और प्रबंधन ;  
Procurement and management of IT infrastructure (Servers, PCs etc.) ;

(घ) ई-मेल/ इंटरनेट एवं ऑफिस ओटोमेशन / Email/ internet & office automation;

(ड) सूचना सुरक्षा / Information security;

(च) वेब प्रौद्योगिकियां / Web technologies;

(छ) सिस्टम प्रशासन / Systems Administration.

### **पोत मरम्मत / Ship repair**

(क) निविदाओं में भाग लेना और पोत मरम्मत ठेके को अंतिम रूप देना ;  
Participating in tenders and finalizing ship repair contracts;

- (ख) ठेके के अनुसार समय पर पूरा होने और गुणवत्ता बनाए रखने पर ज़ोर देने के साथ सभी पोत मरम्मत परियोजनाओं की योजना और निष्पादन ;  
Planning and Execution of all ship repair projects, with emphasis on timely completion and maintaining quality as per contracts ;
- (ग) पोत मरम्मत सामग्री की खरीद और उप ठेके ;  
Ship repair material procurement and subcontracts;
- (घ) अनुकूलतम रिटर्न के लिए विभिन्न पोत मरम्मत परियोजनाओं के बीच उचित रूप से संसाधनों का आबंटन ;  
Allocation of resources appropriately among the different ship repair projects for optimum returns;
- (ङ) पोत मरम्मत से संबंधित विभिन्न कार्यों के सिलसिले में आनुषंगिकों की पहचान और विकास ;  
Identification and development of ancillaries in connection with various work relating to ship repair ;
- (च) परियोजनाओं के समुचित निष्पादन के लिए मुख्य क्षेत्रों में पोत मरम्मत कौशल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के कुशलता विकास केंद्र के साथ समन्वय ;  
Coordinate with the company's skill development centre to ensure that there is availability of ship repair skills in core areas for proper execution of projects;
- (छ) सुचारु संचालन के लिए संयंत्र और मशीनरी सहित पोत मरम्मत संपत्ति का उचित रखरखाव ।  
Proper maintenance and upkeep of ship repair assets including plant and machinery for smooth operations.

### **सामग्री विभाग / Material Department**

- (क) पोत निर्माण परियोजनाओं के संदर्भ में पुर्जों और स्टोर के लिए इन्वेंटरी कंट्रोल सहित सभी सामग्री प्रबंधन कार्य, विक्रेता प्रबंधन ।  
All Materials Management functions, Vendor management, including Inventory Control for spares and stores with reference to shipbuilding projects.

### **परियोजनाएं / Projects**

- (क) विभिन्न विभागों से नवीकरण और प्रतिस्थापन के तहत पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित वार्षिक आवश्यकताओं की मांग । इन वस्तुओं को मिलाएं, प्राथमिकता दें और इसके आधार पर नवीकरण और प्रतिस्थापन पर वार्षिक परिव्यय पर पहुंचें ।  
Solicit from various departments their annual requirements of capital items under renewals and replacements. Collate these items, prioritise and based on this arrive at the annual outlay on the renewals and replacements



(ख) प्रभावी रूप से कंपनी की प्रमुख विस्तार परियोजनाओं की योजना बनाना और क्रियान्वित करना और इस संबंध में डीपीआर को पूरा करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति करना और पर्यावरणीय मंजूरी, भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करना और समय पर पूरा होने पर जोर देते हुए परियोजना का क्रियान्वयन करना।

To effectively plan and execute the major expansion projects of the company and in this regard to select and appoint consultants for carrying out the DPR, to obtain environmental clearances, GOI clearances and execute the project with emphasis on timely completion.

### **उपयोगिता व अनुरक्षण / Utilities and Maintenance**

(क) दैनंदिन संचालन के लिए उपयोगिता वस्तुओं जैसे ऑक्सीजन, एलपीजी आदि की आपूर्ति की व्यवस्था करना।

To arrange supply of utility items like oxygen, LPG etc for the day to day operations.

(ख) संयंत्र और उपकरण और मशीन सहित कंपनी की संपत्ति को बनाए रखने और वार्षिक निवारक रखरखाव की योजना बनाना।

To maintain the assets of the company including the plant and equipment and Machineries and plan the annual preventive maintenance

(ग) मरम्मत और रखरखाव गतिविधियां करना।

To undertake repair and maintenance activities

### **सिविल विभाग / Civil Department**

(क) सिविल निर्माण और सिविल संरचनाओं के रखरखाव करना।

To undertake civil constructions and maintenance of civil structures

(ख) पूंजी और राजस्व ड्रेड्जिंग गतिविधियों की योजना और निष्पादन।

Plan and execute capital and revenue dredging activities

(ग) संपत्ति का रखरखाव / Maintenance of estate

### **मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध और प्रशासन विभाग**

#### **HR, IR and Administration department**

(क) पारिश्रमिक, कर्मचारियों के मुआवजे से संबंधित सभी मामले।

All matters relating to remuneration, compensation of employees

(ख) कार्य-निष्पादन प्रबंधन और कार्य-निष्पादन से संबंधित भुगतान।

Performance management and performance related payment.

(ग) भर्ती, नियोजन, तैनाती एवं स्थानांतरण।

Recruitment, Placements, Postings & Transfers.

(घ) औद्योगिक संबंध, विविध यूनियनों/संघों से संबंधित, औद्योगिक विवाद आदि  
Industrial Relations, relating to various Unions / Associations, Industrial Disputes etc.

(ङ) प्रशिक्षण और कौशल / Training and skilling

(च) कल्याण सुविधाएं / Welfare facilities and amenities.

(छ) सामान्य सेवाएं / General Services.

(ज) राजभाषा कार्यान्वयन, नागरिक चार्टर  
Official Language Implementation, Citizens' Charter

(झ) कर्मचारी शिकायत / Employees Grievance

(ञ) लोक शिकायत / Public Grievances

### **सतर्कता / Vigilance**

(क) निवारक और निगरानी सतर्कता / Preventive and surveillance vigilance.

(ख) अप्रत्याशित जांच / Surprise Checks

(ग) अनुपालन के लिए सभी कार्यात्मक विभागों को सतर्कता पर सरकारी निदेश जारी करना | Conveying Government Instructions on vigilance to all functional departments for compliance.

(घ) कुछ सेवा पहलुओं में सतर्कता मंजूरी ।  
Vigilance clearance in certain service aspects

(ङ) विभागीय सतर्कता मामले को संभालना / Handling Departmental Vigilance Cases

### **व्यापार विकास, नई परियोजनाएं / Business Development, New Projects**

(क) पोत निर्माण बाजार की स्थिति अध्ययन / निगरानी; पोत मालिकों के साथ ग्राहक संपर्क ।  
Study / Monitor Shipbuilding Market conditions; Customer Contacts with ship owners

(ख) बाजार अनुसंधान और विकास, जन्मभूमि और विदेश में पोत निर्माण क्षमता का बाजार अध्ययन और अवसरों का पता लगाना, रणनीति की योजना बनाना, ग्राहकों की पहचान करना, और शीर्ष प्रबंधन को निरंतर प्रतिक्रिया देना ।

Market Research & Development, Market study of shipbuilding potential at Home and abroad and locating opportunities, planning strategies identifying clients and continuous feed-back to top management.

(ग) निविदाओं में भाग लेना और ठेके को अंतिम रूप देना ।

Participating in Tenders and Finalizing Contracts

(घ) नई पहल, कई भौगोलिक स्थानों पर विस्तार, प्रौद्योगिकी अंतरण समझौते, नई विविध परियोजनाएं आदि।

New Initiatives, expansion to multiple geographical locations, technology transfer agreements, new diversified projects etc.

### **कॉर्पोरेट मामले / Corporate Matters**

(क) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी की बोर्ड बैठक, वार्षिक साधारण बैठक, लेखापरीक्षा समिति बैठक, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता विकास समिति बैठक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति बैठक, हितधारक संबंध समिति बैठक और अन्य बोर्ड उप समिति बैठक आयोजित करना ।

Conducting Board Meetings, Annual General Meetings, Audit Committee meetings, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee meetings, Nomination and Remuneration Committee meeting, Stakeholders Relationship Committee meetings and other Board subcommittee meetings of the Company, as per statutory requirements.

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और कंपनी पर लागू अन्य कॉर्पोरेट कानून का अनुपालन ।

Compliance with Companies Act, 2013 and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and other corporate laws applicable to the Company;

(ग) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी के मामलों पर समय-समय पर रिपोर्ट / विवरणी प्रस्तुत करना, संसद के सवाल का जवाब देना आदि।

Submission of periodical reports / returns on the Company affairs to the Registrar of Companies, Stock Exchanges, answering Parliament questions etc.

(घ) शेयरों को जारी करना और रखरखाव; शेयर बाजारों, शेयरधारकों / निवेशकों के साथ पत्राचार।

Issue and maintenance of Shares; correspondence with the stock exchanges, Shareholders / Investors.

(ङ) प्रधान मंत्री के पोर्टल के माध्यम से लोक शिकायत ।

Public Grievances through the prime ministers portal.

(च) सूचना अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन / RTI Act Implementation.

(छ) जनसंपर्क और मीडिया से संबंधित सभी मामले ।  
All matters pertaining to Public Relations & Media.

**6. विभागों के मुख्य कार्यपालक और प्रमुख**  
**THE CHIEF EXECUTIVE AND HEADS OF DEPARTMENTS**

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों और संगठन के प्रशासन में कार्यात्मक विभागों के प्रमुखों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

The Chairman and Managing Director is assisted by the whole time functional directors and the Heads of functional departments in the administration of the Organisation.

**मुख्य कार्मिक / Key Personnel**

नाम एवं पदनाम Name & Designation	दूरभाष सं. Phone Number	ई-मेल पता Email address
मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	0484 250 1201	madhu.nair@cochinshipyard.com
पॉल रंजन डी निदेशक(वित्त) Shri Paul Ranjan D Director (Finance)	0484 250 1222	paulranjan@cochinshipyard.com
सुरेश बाबु एन वी निदेशक (प्रचालन) Shri Suresh Babu N V Director (Operations)	0484 250 1254	sureshbabu.nv@cochinshipyard.com
बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी) Bejoy Bhasker Director (Technical)	0484 250 1364	bejoy@cochinshipyard.com
रमेश के जे मुख्य महा प्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण) Ramesh K J Chief General Manager (Human Resource & Training)	0484 250 1206	ramesh.kj@cochinshipyard.com
मुरुगय्या एम मुख्य महा प्रबंधक (तकनीकी) Murugaiah M Chief General Manager (Technical)	0484 250 1877	murugaiah.m@cochinshipyard.com

<p>वर्गीस एम डी</p> <p>मुख्य महा प्रबंधक</p> <p>(औद्योगिक संबंध एवं प्रशासन एवं सीएसआर)</p> <p>Varghese M D</p> <p>Chief General Manager (Industrial Relations &amp; Administration &amp; CSR Head)</p>	0484 250 1236	varghese.md@cochinshipyard.com
<p>नीलकंठन ए एन</p> <p>महा प्रबंधक (सामग्री)</p> <p>Neelakandhan A N</p> <p>General Manager (Materials)</p>	0484 250 1360	neelakandhan@cochinshipyard.com
<p>श्रीजित्त के एन</p> <p>महा प्रबंधक (पोत मरम्मत)</p> <p>Sreejith K N</p> <p>General Manager (Shiprepair)</p>	0484 250 1261	sreejith.kn@cochinshipyard.com
<p>सुरेश कुमार ए वी</p> <p>महा प्रबंधक (पोत निर्माण)</p> <p>Suresh Kumar A V</p> <p>General Manager (Shipbuilding)</p>	0484 250 1386	sureshkumar.av@cochinshipyard.com
<p>वरदराजन एस</p> <p>महा प्रबंधक (विशेष अधिकारी - मुंबई पोत मरम्मत)</p> <p>Varadarajan S</p> <p>General Manager (Special Officer – Mumbai Shiprepair)</p>	0484 250 1330	varadarajan.s@cochinshipyard.com
<p>कला वी</p> <p>महा प्रबंधक एवं कंपनी सचिव</p> <p>Kala V</p> <p>General Manager &amp; Company Secretary</p>	0484 250 1306	kala.v@cochinshipyard.com
<p>राजेश गोपालकृष्णन</p> <p>महा प्रबंधक (व्यापार विकास और नई परियोजनाएं)</p> <p>Rajesh Gopalakrishnan</p> <p>General Manager (Business Development and New Projects)</p>	0484 250 1900	rajesh.g@cochinshipyard.com
<p>हरिकृष्णन एस</p> <p>महा प्रबंधक (एलएनजी, पीएम एवं पीपीसी)</p>	0484 250 1429	harikrishnan.s@cochinshipyard.com

Harikrishnan S General Manager (LNG, PM & PPC)		
एल्दो जॉण महा प्रबंधक (इन्फ्रा परियोजनाएं) Eldho John General Manager (Infra Projects)	0484 250 1913	eldho.john@cochinshipyard.com
सुब्रमण्य पिल्लै आर Subramaniya Pillai R महा प्रबंधक (डिजाइन एवं इंजीनियरिंग) General Manager (Design & Engg.)	0484 250 1235	rspillai@cochinshipyard.com
जोस वी जे महा प्रबंधक (वित्त)  Jose V J General Manager (Finance)	0484 250 1304	josevj@cochinshipyard.com
शिवकुमार ए महा प्रबंधक (आईएसी) Sivakumar A General Manager (IAC)	0484 250 1323	sivakumar.a@cochinshipyard.com
सुनिलकुमार के आर महा प्रबंधक (सामग्री-II) Sunil Kumar K R General Manager (Materials-II)	0484 250 1340	sunilkumar.kr@cochinshipyard.com

## 7. दूरदर्शिता / दौत्य और उद्देश्य

### VISION / MISSION AND OBJECTIVES

#### दूरदर्शिता / Vision

- (i) विश्व स्तरीय व्यापारिक और नौसेना पोतों, अपतटीय यानों और संरचनाओं के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिमत शिपयार्ड के रूप में उभरना ।

Emerge as an internationally preferred shipyard to construct world class Merchant and Naval ships, Offshore vessels and structures

- (ii) परिवर्तन/ उन्नयन सहित पोत मरम्मत के लिए भारत में विपणन में अग्रणी बनना ।

Be the market leader in India for ship repairs, including conversions and up gradation

- (iii) हमारे मूल्यवान ग्राहकों द्वारा हमारी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करना, हमारे नैतिकता के लिए सम्मान करना और हमारी सेवा उत्कृष्टता के लिए भरोसा करना ।

To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.

### **दौत्य / Mission**

- i. अंतरराष्ट्रीय मानकों पर पोतों और ऑफ-शोर संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत करना और मूल्यवर्धित गुणवत्ता इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करना।  
To build and repair ships and off-shore structures to international standards and provide value added quality engineering services.
- ii. प्रतिस्पर्धी वातावरण में कॉर्पोरेट संवृद्धि बनाए रखना।  
Sustain corporate growth in competitive environment.
- iii. एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने की दिशा में कार्य प्रणालियों को अपनाना और शुरू करना।  
To adopt and undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.

### **उद्देश्य / Objectives**

- (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि के माध्यम से पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों को बनाए रखना और बढ़ाना ।  
To sustain and enhance shipbuilding and shiprepair activities through technology upgradation and capacity augmentation
- (ii) नई सुविधाओं की स्थापना सहित शिपयार्ड की विविध गतिविधियों के विकास / विविधीकरण के लिए लगातार प्रयत्न करना ।  
To continuously endeavor to expand/ diversify activities of the shipyard including setting up new facilities
- (iii) पोत निर्माण प्रक्रिया की उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को कार्यान्वित करना ।  
To carry out Research & Development in emerging technologies in shipbuilding process.

## **8. कोचीन शिपयार्ड का कार्य-निष्पादन / PERFORMANCE OF COCHIN SHIPYARD**

कंपनी पिछले चार दशकों में भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में अग्रदूत के रूप में उभरी है। वर्तमान में, यार्ड में 110000 डीडब्ल्यूटी तक के पोतों का निर्माण करने और 125000 डीडब्ल्यूटी तक के पोतों की मरम्मत करने की क्षमता है। इस यार्ड ने प्रत्येक 95000 डीडब्ल्यूटी के

भारत के सबसे बड़े डबल हल अफ्रामैक्स टैंकरों का निर्माण और सुपुर्दगी की है। सीएसएल ने यूरोप और मध्य पूर्व से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कंपनियों से पोत निर्माण का आदेश प्राप्त किया है और वर्तमान में देश का पहला स्वदेशी वायुयान वाहक का निर्माण कर रहा है।

The Company has emerged as a front-runner in the Indian Shipbuilding and Ship Repair industries in the last four decades. Presently, the yard has capacity to build ships up to 110000 DWT and repair ships upto 125000 DWT. The yard has built and delivered two of India's largest double hull Aframax tankers each of 95000 DWT. CSL has secured ship building order from internationally renowned companies from Europe and Middle East and is currently building the country's first Indigenous Aircraft Carrier.

कोचीन शिपयार्ड के पास अपने ग्राहकों के लिए गुणवत्ता वाले पोतों की सुपुर्दगी के लिए उल्लेखनीय और बेजोड़ ट्रैक रिकॉर्ड हैं। शिपयार्ड में अनुभवी डिजाइनरों द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक डिजाइन केन्द्र है। शिपयार्ड को प्लाज्मा कटिंग मशीन, प्लेट तैयार करने का उपकरण, नमी नियंत्रित पेंट कोटिंग शॉपों आदि से सुसज्जित विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का गौरव प्राप्त है। शिपयार्ड में 255 मीटर लंबाई और 43 मीटर चौड़ाई की निर्माण गोदी है, जो 110000 डीडब्ल्यूटी के पोतों के निर्माण में सक्षम है। निर्माण गोदी 150 टी और 300 टी क्षमता के दो बड़े गैन्ट्री क्रेन द्वारा सेवित है। शिपयार्ड की सबसे बड़ी ताकत इसका मानव संसाधन है - 1867 समर्पित, प्रतिबद्ध और उच्च कुशल कर्मियों का एक समूह जिसने पिछले 30 वर्षों में 100 से अधिक पोतों का निर्माण और सुपुर्दगी की है।

Cochin Shipyard has enviable and unmatched track records for delivery of quality ships to its clients. The shipyard has a 'state of the art' design centre manned by experienced designers. The shipyard boasts of world class infrastructure equipped with plasma cutting machines, plate preparation equipment, humidity controlled paint coating shops etc. The shipyard has a building dock of 255 m length by 43 m width capable of building ships of 110000 DWT. The building dock is serviced by two large gantry cranes of 150 T and 300 T capacity. The greatest strength of the shipyard is its human resource - a group of 1867 nos dedicated committed and highly skilled personnel who have built and delivered over 100 ships in the last 30 years.

यह, देश में पोत की मरम्मत करने वाले गोदी के साथ सबसे अच्छा सुसज्जित पोत मरम्मत यार्ड है जो 270 मीटर और 45 मीटर की चौड़ाई तक की पोतों को समायोजित कर सकता है।

It is the best equipped ship repair yard in the country with a ship repair dock which can accommodate vessels upto a length of 270 M and width of 45 M.

सीएसएल ने दुनिया भर में समझदार ग्राहकों को 40 से अधिक उच्च तकनीकी पोतों का निर्माण और निर्यात किया है। यार्ड को भारतीय नौसेना के लिए कंपनी के पहले स्वदेशी विमान वाहक का निर्माण करने का भी विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके साथ, भारत इस आकार के एक वायुयान वाहक का निर्माण करने के लिए पांच देशों के चुनिंदा क्लब में शामिल हो जाता है। भारत में एकमात्र शिपयार्ड जो कई समुद्री क्षेत्रों, वाणिज्यिक और रक्षा पोत निर्माण, वाणिज्यिक और रक्षा पोत मरम्मत, समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण में लगे हुए हैं, यार्ड वास्तव में समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की क्षमता को दर्शाता है। एक श्रेणी -1 मिनिरल्टन कंपनी, यार्ड को पिछले कई वर्षों से भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता



जापन के तहत "उत्कृष्ट" श्रेणीबद्ध किया गया है। पोत मरम्मत में, कोचीन शिपयार्ड ने सभी प्रकार के 1800 से अधिक पोतों का मरम्मत कार्य किया है। पोतों की गुणवत्ता और समय पर सुपुर्दगी के लिए सीएसएल की एक गहरी प्रतिष्ठा है। सीएसएल एकमात्र यार्ड है जो भारतीय नौसेना के वायुयान वाहक आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रमादित्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय मरम्मत का कार्य कर रहा है। यार्ड ने सफलतापूर्वक ओएनजीसी/विदेशी ग्राहकों के जैग-अप रिग्स के अपतटीय मरम्मत कार्य पूरा किया है।

CSL has built and exported more than 40 high tech ships to discerning clients worldwide. The yard is also privileged to build the company's first Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy. With this, India joins a select club of five nations to build an Aircraft Carrier of this size. The only shipyard in India which is into many maritime segments, commercial and defence shipbuilding, commercial and defence ship repair, Marine Engineering Training, the yard truly reflects the capability of India as a Maritime Nation. A category I Miniratna company, the yard has been graded "Excellent" under the MOU signed with GOI for the last several years. In ship repair, Cochin Shipyard has undertaken repairs to over 1800 ships of all types. CSL has an enviable reputation for quality and timely delivery of vessels. CSL is the only yard which has been undertaking underwater repairs to the aircraft carrier INS Viraat and INS Vikramaditya of Indian Navy. The yard has also successfully undertaken afloat repairs to jack up rigs of ONGC/ foreign clients.

सीएसएल की दो प्रमुख विस्तार योजनाओं में 970 करोड़ रुपये की लागत से कोचीन पोर्ट ट्रस्ट परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) और 1799 करोड़ रुपये की लागत से शिपयार्ड के मौजूदा परिसर में नई सूखी गोदी शामिल हैं। इन नई सुविधाओं से कंपनी की मौजूदा क्षमताओं में काफी विस्तार होगा। नई सूखी गोदी, यार्ड को नई पीढ़ी के वायुयान वाहक और ऑइल रिग्स सहित विविध प्रकार के पोतों का निर्माण और मरम्मत करने में सक्षम करेगा। नई अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा कंपनी को व्यापक श्रेणी के छोटे पोतों की मरम्मत करने में मदद करेगी और पोत मरम्मत क्षमताओं को काफी आगे बढ़ाएगी। इन विस्तार परियोजनाओं पर प्रगति संतोषजनक रही है।

CSL's two major expansion plans of the company include the International Ship Repair Facility (ISRF) at the Cochin Port Trust premises at cost of Rs. 970 crores and the new Drydock at the shipyard's existing premises at a cost of Rs.1799 crores. These new facilities will expand the Company's existing capabilities significantly. The new drydock will enable the yard to build and repair a broader variety of vessels including new generation aircraft carriers and oil rigs. The new International Shiprepair Facility will allow the Company to undertake repair of a broader range of smaller vessels and significantly increase shiprepair capacities. The progress on these expansion projects have been satisfactory.

सीएसएल ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 को इंदिरा डॉक में पोत मरम्मत सुविधा के संचालन और प्रबंधन के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया है। सीएसएल पोत मरम्मत और संबद्ध सेवाओं के उद्देश्य से और मुंबई क्षेत्र में पोत मरम्मत के क्षेत्र में और विस्तार हेतु सुविधाओं का उपयोग करेगा। नेताजी सुभाष डॉक में पोत मरम्मत सुविधा के संचालन और प्रबंधन के लिए दिनांक 17 मार्च, 2018 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ इसी तरह के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, जो कोलकाता क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर पोत मरम्मत आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। सीएसएल ने सितंबर 2018 में पोर्ट ब्लेयर में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए अंजमान और निकोबार प्रशासन के साथ भी एक समझौते जापन पर हस्ताक्षर किया है। अंजमान और निकोबार

प्रशासन के साथ यह समझौता करने से, सीएसएल अंडमान और निकोबार द्वीपों पर एक एकीकृत पोत मरम्मत परितंत्र विकसित करेगा जिसमें सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रशासन के स्वामित्व वाले पोतों का रखरखाव और द्वीपों पर रहनेवालों के लिए कौशल विकास शामिल है।

CSL has entered into an agreement with the Mumbai Port Trust on October 20, 2018 for operations and management of Ship Repair facility at Indira Dock. CSL shall utilize the facilities for the purpose of ship repair and allied services and for further expansion in the field of ship repair in Mumbai Area. Similar MOU has been signed with Kolkata Port Trust on March 17, 2018 for operations and management of ship repair facility at Netaji Subhas Dock, which shall be focusing on the Ship Repair requirements at Kolkata area and Inland waterways. CSL has also signed a MoU with Andaman & Nicobar Administration for setting up its unit at Port Blair in Sep 2018. By entering into this arrangement with A&N Administration, CSL shall be developing an integrated Ship Repair Ecosystem at A&N islands that includes, modernisation of facilities, maintenance of Administration owned vessels and skill development for the islanders.



सीएसएल ने अक्टूबर 2017 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया है जो कि हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के साथ हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड(एचसीएसएल)है जो एचडीपीईएल से उक्त सुविधाओं को पट्टे पर लेकर कोलकाता में सल्लिकिया और नज़ीरगंज में एचडीपीईएल की सुविधाओं में पोत निर्माण के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए है।

CSL has incorporated a joint venture company in October 2017 viz. Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) with Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) for upgradation and modernization of shipbuilding infrastructure at HDPEL's facilities in Salkia and Nazirgunge in Kolkata by taking over on lease the said facilities from HDPEL.

## **9. वित्तीय निष्पादन / FINANCIAL PERFORMANCE :**

पिछले पाँच वर्षों से सीएसएल का कारोबार 32% से अधिक बढ़ गया है। कारोबार में लगातार वैश्विक वृद्धि हुई है। वैश्विक मंदी के बाद, कोचीन शिपयार्ड एकमात्र वाणिज्यिक शिपयार्ड है जिसने लगातार विश्वसनीय वित्तीय निष्पादन दिखाया है। कारोबार में स्थिरता रक्षा पोत निर्माण और पोत मरम्मत से हासिल की गई थी। जैसा कि देखा जा सकता है, हाल ही के वर्षों में कुल कारोबार में पोत मरम्मत का परिपूरक बढ़ गया है। वर्ष 2012-13 में 22% से पोत मरम्मत परिपूरक वित्त वर्ष - 18 में 59% तक बढ़ गया है। जैसा कि कंपनी ने मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर जैसी नई भौगोलिक क्षेत्रों में सुविधाएं स्थापित की हैं, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि पोत मरम्मत पूरक बेहतर कारोबार और उपांतों की वजह से कारोबार में और अधिक वृद्धि करेगा। सीएसएल के कर से पहले का लाभ भी पिछले पाँच वर्षों में लगातार बढ़ा है। इस अवधि में कर से पहले लाभ में 78% वृद्धि हुई है। चालू स्वदेशी विमान वाहक परियोजना की प्रगति और पोत मरम्मत कारोबार में भी हुई वृद्धि के कारण लाभप्रदता में वृद्धि हुई जो बेहतर उपांत प्रदान करता है। चालू वर्ष की प्रवृत्ति कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के 90% पीबीटी को चालू वित्तीय वर्ष के आधे वर्ष तक देखते हुए प्रोत्साहित कर रहा है।

The Turnover of CSL has increased by over 32% in the last five years. There has been a consistent YoY growth in turnover. In the aftermath of the global downturn, Cochin Shipyard is the only commercial shipyard which has consistently posted credible financial performance. The consistency in turnover was achieved through defence shipbuilding and shiprepair. As can be seen, the complement of shiprepair in total turnover has increased in the recent years. From 22% in 2012-13 the shiprepair complement has increased to 59% of turnover in FY -18. As the company sets up facilities in newer geographies like Mumbai, Kolkata and Port Blair, it is expected that the shiprepair complement will further increase in the turnover leading to better turnovers and margins. The Profit before tax of CSL has also consistently increased over the last five years. It has posted a 78% increase in Profit Before tax over the period. The increase in profitability was owing to the progress in the ongoing Indigenous Aircraft Carrier project and also the increase in Shiprepair turnover which provides better margins. The trend in the current year is also encouraging with the company clocking 90% of previous years PBT by the half year of the current financial.



रु. करोड़ / Rs. Crores

वित्तीय वर्ष Financial Year	कारोबार Turnover	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) Profit Before Tax (PBT)	कर पश्चात लाभ (पीएटी) Profit After Tax (PAT)	ईपीएस (रु.प्रति शेयर) EPS (Rs. Per share)	शेयर का अंकित मूल्य (रु.) Face Value of Share (Rs.)	लाभांश भुगतान Dividend Pay-out
2008-09	1256.21	247.63	160.07	14.13	10	11.32
2009-10	1248.50	331.25	223.04	19.69	10	11.32
2010-11	1461.72	344.23	227.53	20.09	10	11.32
2011-12	1404.85	252.97	172.33	15.21	10	16.99
2012-13	1554.16	275.55	185.27	16.35	10	16.99
2013-14	1652.66	290.96	194.24	17.15	10	16.99
2014-15	1859.51	367.56	235.07	20.75	10	16.99
2015-16	1993.45	419.65	273.79	24.07	10	86.65
2016-17	2058.87	493.40	321.55	28.39	10	101.61
2017-18	2355.12	604.86	396.75	31.03	10	163.12

## 10. समझौता ज्ञापन / MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

कंपनी सरकार के साथ “एमओयू” पर हस्ताक्षर कर रही है और कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन और निर्धारण समझौता ज्ञापन के मापदण्ड / मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

The Company has been signing “MoU” with the Government and the performance of the Company is assessed and rated as per MoU Criteria/ parameters.

समझौता ज़ापन में शामिल हैं / The MOU covers:

- (a) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और संवर्धित स्वायत्तता का अभ्यास करना।  
Exercise of Enhanced Autonomy and delegation of financial powers
- (b) निष्पादन मूल्यांकन मानदण्ड और लक्ष्य / Performance Evaluation parameters and targets
- (c) सरकार से प्रतिबद्धता / सहायता / Commitments/ Assistance from Government
- (d) एमओयू के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु कार्य योजना /  
Action Plan for Implementation and monitoring of MOU

#### **11. समझौता ज़ापन के अनुमान की प्राप्ति / MOU RATINGS RECEIVED**

कंपनी द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्राप्त एमओयू अनुमान इस प्रकार है:

The MOU ratings received by the company in the last 10 years is as follows:

वर्ष / Year	एम ओ यू अनुमान / MOU Rating
2008-09	उत्कृष्ट / Excellent
2009-10	उत्कृष्ट / Excellent
2010-11	उत्कृष्ट / Excellent
2011-12	बहुत अच्छा / Very Good
2012-13	उत्कृष्ट / Excellent
2013-14	उत्कृष्ट / Excellent
2014-15	उत्कृष्ट / Excellent
2015-16	उत्कृष्ट / Excellent
2016-17	उत्कृष्ट / Excellent
2017-18	उत्कृष्ट / Excellent

#### **12. पुरस्कार और मान्यताएँ / AWARDS AND RECOGNITIONS**

सीएसएल ने उत्पादकता, मानव संसाधन उत्कृष्टता, सीएसआर, औद्योगिक सुरक्षा आदि के क्षेत्र में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। यह भारत का सबसे अच्छा निष्पादन करने वाला शिपयार्ड है। यार्ड द्वारा प्राप्त विभिन्न पुरस्कारों में शामिल हैं :

CSL has won a number of awards in the state and national level in the area of productivity, HR excellence, CSR, Industrial Safety etc. It is the best performing shipyard in India. The various awards secured by the yard include

- (a) सर्वश्रेष्ठ सीएसआर गतिविधियों के लिए केएमए उत्कृष्टता पुरस्कार;  
KMA excellence award for best CSR activities undertaken;

- (b) ब्यूरोक्रेसी टुडे द्वारा दिया गया 'ग्रामीण विकास' के लिए ब्यूरोक्रेसी टुडे सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार;  
Bureaucracy Today CSR excellence award for 'Rural Development', given by Bureaucracy Today;
- (c) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, मधु एस नायर को ब्यूरोक्रेसी टुडे द्वारा दिया गया 'सीएसआर-उन्मुख चेयरमैन/ सीएमडी/ एमडी ऑफ दी इयर (पीएसयू)' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।  
Madhu S Nair, CMD, Cochin Shipyard Limited, was honoured with the 'CSR-Oriented Chairman/ CMD/MD of the Year (PSU)' Award, given by Bureaucracy Today;
- (d) केरल राज्य उत्पादकता परिषद् से दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता निष्पादन के लिए एमकेके नायर मेमोरियल पुरस्कार;  
MKK Nair Memorial Award for the Second Best Productivity Performance from Kerala State Productivity Council;
- (e) "बड़े पैमाने पर ऊर्जा उपभोक्ताओं" की श्रेणी में केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2017;  
Kerala State Energy Conservation Award 2017 in the category of 'Large Scale Energy Consumers';
- (f) सीमा शुल्क, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से "कलेंडर वर्ष 2017 के लिए कोचीन में टॉप एक्सपोर्टर (पीएसयू)" पुरस्कार ;  
'Top Exporter (PSU) at Cochin for the calendar year 2017' award from Customs, Central GST and Central Excise;
- (g) केरल राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान 'औद्योगिक इकाइयों' की श्रेणी में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की सराहनीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए, एनर्ट द्वारा विद्युत विभाग, केरल सरकार द्वारा दिया गया केरल राज्य अक्षय ऊर्जा पुरस्कार 2017।  
Kerala State Renewable Energy Award 2017 in appreciation of commendable achievements towards the utilization of Renewable Energy in the category of 'Industrial Units in the State of Kerala during the year 2016-17, given by Department of Power, Government of Kerala through ANERT;
- (h) भारत के जनसंपर्क परिषद द्वारा दिए गए पेशे, उद्योग और समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का कॉर्पोरेट नागरिक पुरस्कार ।  
Corporate Citizen of the year 2018 Award for outstanding contribution to the profession, industry and society, given by Public Relations Council of India;
- (i) राष्ट्रीय स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी और बी 2 बी मीट में सर्वश्रेष्ठ स्टाल के लिए पुरस्कार, दिनांक 07 से 09, 2017 तक एमएसएमई विकास संस्थान, त्रिशूर, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया।  
Award for Best Stall' in the National Level Vendor Development Programme cum Industrial Exhibition & B2B Meet, 'IND EXPO 2017' organised by MSME Development Institute, Thrissur, Ministry of MSME from December 07 to 09, 2017;
- (j) वर्ष के पोत निर्माण और मरम्मत यार्ड के लिए 'इंडिया सीट्रेड पुरस्कार 2017'

### 13. पूँजी संरचना / CAPITAL STRUCTURE

कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूँजी क्रमशः 250 करोड़ रुपए और 1,31.24 करोड़ रुपए है। मौजूदा भारत सरकार के पास 75.21 प्रतिशत शेयर पूँजी है। कंपनी का शेयरधारण स्वरूप नीचे दिया गया है:

The authorized and paid up share capital of the Company are Rs 250 crores and Rs.131.24 crores respectively. Presently 75.21 percent of the share capital is held by the Government of India. The shareholding pattern of the Company is given below:

शेयर धारक की श्रेणी Category of shareholder	शेयर धारकों की संख्या No. of shareholders	संघटित शेयरों की कुल संख्या Total no. shares held	शेयरों की कुल संख्या का % के रूप में शेयर धारण (एससीआरआर, 1957 के अनुसार परिकलित) Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)	विमुद्रीकृत रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares held in dematerialized form
(क) प्रमोटर एवं प्रमोटर ग्रुप (A) Promoter & Promoter Group	1	9,89,34,442	75.21	9,89,34,442
(ख) सार्वजनिक (B) Public	1,74,167	3,26,05,948	24.79	3,26,05,941
<b>कुल योग Grand Total</b>	<b>1,74,168</b>	<b>13,15,40,390</b>	<b>100.00</b>	<b>13,15,40,383</b>

### 14. कोचीन शिपयार्ड का क्रय प्रक्रिया COCHIN SHIPYARD'S PURCHASE PROCEDURE:

कंपनी के लिए किसी सेवा या सामग्री के क्रय / प्राप्ति के लिए जाते समय, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रय प्रक्रिया को पढ़ने और दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। किसी भी विवरण या स्पष्टता के लिए उक्त प्रक्रिया को कार्यात्मक विभागों और परियोजनाओं द्वारा सभी क्रय के लिए संदर्भित किया जाएगा। इस प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ यहाँ बताई गई हैं:

The Purchase Procedure, as approved by the Board of Directors of the company, is required to be read and guidelines therein followed while going in for any purchase / procurement of material or service for the company. For any details or clarity, the said Procedure shall be referred by the Functional Departments and Projects for all purchases. The salient features of the Procedure are indicated hereunder:

## **नए विक्रेताओं का पंजीकरण / Registration of new vendors:**

अनुमोदित सूची में नए नाम दर्ज करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

The following procedure shall be followed in registering new names on the approved list: -

- (a) अनुमोदित सूची पर पंजीकरण हेतु आवेदन सीएसएल वेबसाइट में उपलब्ध नमूने के अनुसार होगा।

Application for Registration on the approved list shall be as per specimen available in CSL Website

- (b) आवेदक दस्तावेज़ी साक्ष्य के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिरता, आयकर निकासी, संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करने की क्षमता और लोगों से निष्पादन प्रमाणपत्र पेश करेंगे जिनको वे पहले से ही आपूर्ति कर रहे हैं।

The applicants shall satisfy through documentary evidence their financial stability, income tax clearance, capacity to perform satisfactorily and produce performance certificate from those to whom they are already supplying.

- (c) प्रत्यक्ष संपर्क हेतु दूरभाष के साथ एक स्थापित कार्यालय आवश्यक है।

An established office with a telephone for direct contact is essential.

- (d) कंपनी के परिसर का निरीक्षण एक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जो निर्मित उत्पादों के गुणवत्ता मानकों और आवेदन में दिखाए गए अन्य विवरणों को सत्यापित करता है। पंजीकरण के उद्देश्य हेतु सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से निष्पादन रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा।

The firm's premises may be inspected by an officer to verify the quality standards of the products manufactured and other details shown in the application. Performance reports from Government Departments and Public Sector Undertakings will also be considered for the purpose of registration.

- (e) उनके मौजूदा ग्राहकों के लिए उनके निष्पादन के बारे में एक हवाला भी बनाया जा सकता है।

A reference may also be made about their performance to their existing clients.

- (f) लघु - उद्योग पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

Small-scale industries shall satisfy the registration requirements.

- (g) कुछ विक्रेताओं को एक समय पंजीकरण के लिए माना जा सकता है, जो निम्नानुसार है: Certain vendors can be considered for one - time registration under conditions prevailing as follows:

- (i) जब ग्राहक द्वारा नामांकित किया जाता है, When nominated by the customer,

- (ii) बार- बार अनुरोध पर भी ओईएम से कोई प्रतिक्रिया न मिलना,

No response from OEM on repeated requests.

- (iii) ओईएम द्वारा उद्धृत लागत और या वितरण अत्यधिक / दीर्घकालिक है।  
Cost and or delivery quoted by OEM is exorbitant / protracted.
- (iv) पॉलिसी के रूप में, ओईएम केवल नामित एजेंटों के माध्यम से डील करता है।  
As a policy, OEM deals through nominated agents only.
- (v) एक समय की आवश्यकता के अति विशिष्ट मदें।  
Very specific items of one - time requirement.
- (vi) विशिष्ट समय पर आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं की उपलब्धता वाले केवल विक्रेता के रूप में। As only vendor having ready availability of items / services required at the specific time.

#### **15. विभिन्न श्रेणियों के लिए रोजगार में आरक्षण**

##### **RESERVATION IN EMPLOYMENT FOR VARIOUS CATEGORIES**

- (a) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग  
Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Categories
- (b) भूतपूर्व सैनिक  
Ex-servicemen
- (c) शारीरिक रूप से अशक्त / अशक्त व्यक्तियां  
Physically Handicapped/Persons with Disabilities
- (d) कॉर्पोरेशन में एक संपर्क अधिकारी के साथ एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष स्थापित की गई है ।  
An SC/ST Cell has been set up with a Liaison Officer in the Corporation

#### **16. कार्य स्थानों में यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए तंत्र**

##### **MACHINERY FOR PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT IN WORK PLACES**

सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर जांच करने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है । इस उद्देश्य के लिए एक शिकायत पंजी का रखरखाव किया जा रहा है और कॉर्पोरेशन के सीडीए नियमों और प्रमाणित स्थायी आदेशों में आवश्यक प्रावधान किया गया है । सीएसएल, सार्वजनिक उद्यम में महिलाओं के लिए फॉर्म में आजीवन- सदस्य है, जिसमें कॉर्पोरेशन से एक महिला प्रतिनिधि है । महिला कर्मचारियों के लिए एक अलग विश्राम कक्ष है ।

In line with the government directives a Special Committee has been constituted to look into complaints on sexual harassment at work places. A complaints register is being maintained for the purpose and necessary provision has been made in the CDA Rules of the Corporation and Certified Standing Orders. CSL is a life-member in the Forum for Women in Public Sector (WIPS) with one woman representative from the Corporation. A separate Rest Room is provided for women employees.

#### **17. समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान और कुशलता केन्द्र**

##### **MARINE ENGINEERING TRAINING INSTITUTE AND SKILL CENTRE**



▪ एक वर्ष के जीएमई पाठ्यक्रम  
One Year GME Course

- (a) सीएसएल के सबसे पुरस्कृत योगदानों में से एक शिपयार्ड परिसर में स्थित समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (मेटि) है। मेटि, सीएसएल प्रबंधन प्रणाली मानक के भाग के रूप में, गुणवत्ता आश्वासन के लिए **डीएनवी** से आईएसओ 9001 प्रबंधन प्रणाली मानक, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के ओएसएसएस 18001 के अधीन है। **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन** और **भारत सरकार** द्वारा इसके मानकों को अनुमोदित करते हैं, और डी जी शिपिंग द्वारा अनुमोदित इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस), मुंबई द्वारा '**बहुत अच्छा**' दर्जा दिया गया है। मेटि ने अब तक दो हजार दो सौ से अधिक सक्षम समुद्री इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया है, जो दुनिया भर में विभिन्न नौवहन कंपनियों में काम कर रहे हैं। भारत सरकार के नौवहन महा निदेशक द्वारा अनुमोदित जीएमई पाठ्यक्रम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या यूजीसी द्वारा अनुमोदित संस्थानों से मेकानिकल/ मेकानिकल एवं ओटोमेशन/ नौसेना वास्तुविद् में इंडियन नेशनल ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए खुला है, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। न्यूनतम योग्यता अंक, इंजीनियरिंग स्नातक के अंतिम वर्ष में 50%, 10 वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में अंग्रेजी में 50% हैं और चिकित्सकीय रूप से फिट होना है।

One of CSL's most rewarding contributions is its Marine Engineering Training Institute (METI), located in the Shipyard premises. METI is under ISO 9001 Management System Standard from **DNV (Det Norske Veritas)** for Quality Assurance, ISO 14001 for Environmental Management System, OHSAS 18001 for Occupational Health and Safety Management System as part of CSL Management System Standard. **The International Maritime Organization** and the **Government of India** approve its standards, and the training is rated "**VERY GOOD**" by Indian Register of Shipping (IRS), Mumbai approved by DG Shipping. METI has till date turned out more than two thousand two hundred competent marine engineers; working in different shipping companies around the world. The GME course approved by Director General of Shipping, Govt of India, is open to Indian National Graduate Engineers in Mechanical /Mechanical & Automation / Naval Architecture from institutions approved by All India Council of Technical Education or UGC. Maximum age limit is 28 years. Minimum qualifying marks are 50% marks in final year of Engineering graduation, 50% marks in English either in 10th standard or 12th standard; and medically fit.

- (b) हर साल दो बैच होंगे - एक बैच दिनांक 01 जनवरी से और दूसरा बैच 01 अगस्त से शुरू होगा। पाठ्यक्रम की अवधि 12 महीने हैं, और पाठ्यक्रम पूरी तरह से आवासीय है। जीएमई पाठ्यक्रम के विवरण नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें :-

<https://cochinshipyard.com/links/JOINING%20INSTRUCTIONS--2017.pdf>

Every year there will be two batches - one batch commences on 1st of January and the second batch commences on 1st of August. The duration of the course is 12 months, and the course is fully residential. For details of GME Course click on the link below:-

<https://cochinshipyard.com/links/JOINING%20INSTRUCTIONS--2017.pdf>

- (c) इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य प्रशिक्षण आवश्यकता है, सभी दस्तावेज़ प्राप्त करना है, जिसमें कक्षा IV के सक्षम प्रमाणपत्र के भाग ए शामिल है, जो व्यापार पोत में एसटीसीडब्ल्यू के अनुसार कनिष्ठ समुद्री इंजीनियर अधिकारी के रूप में शामिल होने के लिए आवश्यक है।
- Successful completion of this course is the mandatory training requirement obtaining all documents including Part A of Class IV Certificate of Competency, required for joining a Merchant Ship as Junior Marine Engineer Officer as per STCW 2010.

## ■ प्रवेश

### Admission

#### प्रायोजक उम्मीदवार

#### Sponsor Candidates:

- (a) प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृत क्षमता प्रति वर्ष अधिकतम 140 जीएमई है। जनवरी बैच में 108 स्नातकों और अगस्त बैच में 32 का प्रवेश होगा। आम तौर पर, पाठ्यक्रम में प्रवेश नौवहन कंपनियों या उनके एजेंटों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होता है। गैर-प्रायोजित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण स्लॉट की उपलब्धता के अधीन माना जाता है। प्रायोजन पाने के लिए, उम्मीदवारों को एक नौवहन कंपनी द्वारा चुना जाना है। उम्मीदवारों को सीधे नौवहन कंपनियों से संपर्क करना होगा और उनके चयन प्रक्रिया गौर से देखें और उनके द्वारा चयनित होना है। प्रायोजक कंपनियां मेटी के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करती है और उनके प्रवेश जनवरी बैच के लिए दिनांक 15 नवंबर और अगस्त बैच के लिए 01 जुलाई है।

The sanctioned capacity of the training institute is induction of a maximum of 140 GME per annum. The January batch will have an intake of 108 graduates and the August batch will have 32. Normally, admission to the course is reserved for candidates Sponsored by Shipping Companies or their agents. Non sponsored candidates are also considered subject to availability of training slots. For getting sponsorship, candidates have to get selected by a Shipping Company. The candidates have to directly approach the Shipping Companies and go through their selection procedure and get selected by them. Sponsoring companies submit the list of selected candidates to METI and their admission is on 15th November for January Batch and 1st July for August Batch.

#### गैर-प्रायोजित उम्मीदवार (सीधा आवेदन) :

#### Non Sponsored Candidates (Direct Application):

- (a) गैर-प्रायोजित उम्मीदवार को शामिल होने के निदेशों में उपलब्ध 3 पृष्ठ के आवेदन पत्र को भरना है और इसे जनवरी बैच के लिए 01 नवंबर से 15 नवंबर तक तथा अगस्त बैच के लिए 1 मई से 1 जुलाई तक विभागाध्यक्ष, समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची - 682015 को डाक द्वारा भेज दें। प्रायोजित उम्मीदवारों के बाद, खाली सीटों को गैर-प्रायोजित उम्मीदवारों को आबंटित किया जाएगा। गैर-प्रायोजित उम्मीदवारों का चयन इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण अंकों के अनुसार योग्यता के आधार पर किया जाएगा और

जनवरी बैच के लिए दिनांक 15 नवंबर के बाद और अगस्त बैच के लिए 01 जुलाई के बाद, सभी दस्तावेजों के साथ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करने हेतु ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।

Non sponsored candidates have to fill up the 3 page application form available in the joining instructions and send it by post (no attachments) to The Head of Department, Marine Engineering Training Institute, Cochin Shipyard Limited Kochi - 682 015, from 1st September to 15 November for January Batch and 1st May to 1st July for August Batch. Vacant seats after sponsored candidates will be allotted to Non-sponsored candidates. Non sponsored candidates will be selected on merit as per the marks scored in Engg. Degree and informed by e-mail to report for admission with all documents & fees, after 15th November for January Batch and after 1st July for August Batch.

- **शुल्क :** फिलहाल, पाठ्यक्रम का कुल शुल्क 3,00,000/- रुपए है, जिसमें आवास और भोजन शामिल हैं। उम्मीदवार प्रवेश के समय 3,00,000/- रुपए की कुल राशि अदा करना है। महिला उम्मीदवारों के लिए कुल शुल्क 2,20,000/- रुपए है।

**Fees:** The Total fees for the course is Rs. 3,00,000/- at present, including boarding and lodging. Candidates have to pay the total amount of Rs. 3,00,000/- at the time of admission. For female candidates the total fees is Rs. 2,20,000/-

- **संपर्क विवरण / Contact details:**

विभागध्यक्ष / The Head of Department,

समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान / Marine Engineering Training Institute,

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / Cochin Shipyard Limited,

पेरुमानूर पी ओ / Perumanoor P.O.

कोच्ची / Cochin - 682 015.

दूरभाष / Ph. 0484-2501437/2501223

ई-मेल / E-mail - [metihod@cochinshipyard.com](mailto:metihod@cochinshipyard.com)

- **अग्निशमन में प्रशिक्षण (एसटीसीडब्ल्यू पाठ्यक्रम)**  
**Training in Fire fighting (STCW Courses)**

नौवहन महा निदेशक द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों को शहर के केन्द्र में स्थित स्थित सीएसएल में अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र (एफएफटीसी) में नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।

The following Modular Courses approved by Director General of Shipping are conducted regularly in Fire Fighting Training Centre (FFTC) in CSL situated in the heart of the City.

- (a) अग्नि रोकथाम एवं अग्नि शमन पाठ्यक्रम (एफपीएफएफ) (महीने में दो बैच) 3 दिनों का पाठ्यक्रम, शुल्क : 2,500/- रुपए।

Fire Prevention & Fire Fighting Course (FPFF) (two batches in a month) 3 days course; Fees: Rs. 2,500/-

- (b) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए) - (फिलहाल मेटी प्रशिक्षार्थियों के लिए) 2.5 दिनों का पाठ्यक्रम, शुल्क : 1,500/- रुपए।

Elementary First Aid (EFA) - (Presently for METI trainees only) 2.5 days course;  
Fees: Rs. 1,500/-

पहले से बुकिंग केलिए पाठ्यक्रम-प्रभारी (एफएफटीसी) से संपर्क करें / कार्यालय (दूरभाष सं. 0484 - 1501522, ई-मेल - [fftc@cochinshipyard.com](mailto:fftc@cochinshipyard.com))

For booking in advance contact Course-in-Charge (FFTC) / Office (Telephone No. 0484 - 2501522; E-mail - [fftc@cochinshipyard.com](mailto:fftc@cochinshipyard.com))

*ध्यान दें : 'अग्नि रोकथाम और अग्नि शमन पाठ्यक्रम' (एफपीएफएफ) पोत, ऑफशोर वेसल, लंगर में पोत एवं फिशिंग वेसलों में कार्यरत व्यक्तियों केलिए अनिवार्य है ।*

*NB: 'Fire Prevention and Fire Fighting course' (FPFF) is mandatory for persons working in Ships, Offshore Vessels, Ships at anchorage & Fishing Vessels.*

## **18. कॉर्पोरेट सिस्टम और नीति**

### **CORPORATE SYSTEMS AND POLICY**

कोचीन शिपयार्ड, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण जिसमें आईएसओ 9001:2008, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 14001:2004, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ओएसएसएस 18001 : 2007 शामिल हैं, प्राप्त करनेवाला प्रथम शिपयार्ड था । कोचीन शिपयार्ड आईएसपीएस अनुवर्ती है । सीएसएल ने निम्नलिखित नीतियों को अपनाई हैं :

Cochin Shipyard was the first shipyard to obtain the Integrated Management System certification comprising of ISO 9001:2008 Quality Management System ISO 14001:2004 Environment Management System OHSAS 18001: 2007. Cochin Shipyard is ISPS compliant. CSL has adopted the following policies:

- गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (क्यूएचएसई) नीति  
Quality, Health, Safety & Environmental (QHSE) Policy
- लाभांश वितरण नीति  
Dividend Distribution Policy
- महत्वपूर्ण नियंत्रित कंपनी नीति  
Material Subsidiary Policy
- जोखिम प्रबंधन नीति  
Risk Management Policy
- बोर्ड विविधता नीति  
Board Diversity Policy
- धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान नीति तथा कोचीन शिपयार्ड सतर्क तंत्र और मुखबिर नीति  
Fraud Prevention and detection policy and Cochin Shipyard Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy.
- निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों केलिए आचरण संहिता  
Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel
- इनसाइडर ट्रेडिंग नीति

## Insider Trading Policy

- स्टॉक एक्सचेंज में घटनाओं के प्रकटीकरण का महत्व  
Materiality for Disclosure of Events to Stock Exchange
- संबंधी पार्टी लेनदेन नीति एवं प्रक्रियाएं  
Related Party Transactions Policy & Procedures
- नामांकन और पारिश्रमिक नीति  
Nomination and Remuneration Policy
- ग्रुप कंपनियों, मुख्य लेनदार एवं मुख्य मुकदमेबाजी के पहचान पर नीति  
Policy on Identification of Group Companies, Material Creditors & Material Litigations.
- दस्तावेजों और पुरालेखी संरक्षण नीति  
Preservation of Documents and Archival Policy

हम, ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए पोत निर्माण, पोत मरम्मत सेवाओं और समुद्री इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने में प्रतिबद्ध हैं। हम, इन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों में, एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण में करते हैं और प्रबंधन प्रणालियों के निष्पादन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करते हैं। हम निम्नलिखित के द्वारा उपरोक्त प्राप्त करने का प्रयास करते हैं :

We are committed to providing ship building, ship repair services and training of marine engineers to the total satisfaction of customers. We undertake these in healthy & safe working conditions, an eco-friendly environment and ensure continual improvement of management systems performance. We endeavor to achieve the above by:-

- (a) ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना या उससे अधिक करना।  
Meeting or exceeding customer requirements.
- (b) उत्पादों और सेवाओं की गुणता का विश्वास दिलाना।  
Assuring quality of the products and services.
- (c) सक्षम समुद्री इंजीनियरों का विकास करना।  
Developing competent marine engineers.
- (d) व्यावसायिक अस्वस्थता और चोटों को रोकना।  
Preventing occupational ill health and injuries.
- (e) सुरक्षित कार्य स्थल सुनिश्चित करना।  
Ensuring safe work sites.
- (f) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।  
Conserving natural resources.
- (g) वायु, जल और भूमि प्रदूषण को रोकना/ कम करना।  
Preventing / minimizing air, water and land pollution.
- (h) सुरक्षित रूप से खतरनाक कचरे को संभालना और निपटान करना।

Handling and disposal of hazardous wastes safely.

(i) वैधानिक और विनियामक और अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना ।  
Complying with statutory & regulatory and other requirements.

(j) कौशल विकसित करना और कर्मचारियों को प्रेरित करना ।  
Developing Skills and motivating employees.

## 19. लोक शिकायत

### PUBLIC GRIEVANCE

#### लोक शिकायत निवारण केलिए प्रक्रिया

#### Procedure for Redressal of Public Grievances:

सीएसएल में कार्मिक एवं प्रशासन विभाग, सभी लोक शिकायतों की प्राप्ति और निपटान केलिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है । श्री पॉल रंजन, निदेशक (वित्त) सीएसएल के निदेशक (लोक शिकायत) है । श्री बिजोय भास्कर, निदेशक (तकनीकी), शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी के शिकायत अधिकारी है । सीएसएल में प्राप्त लोक शिकायतों पर कार्य करनेवाले निदेशक (लोक शिकायत) का विवरण नीचे दिया जाता है :

The department of Personnel & Administration in CSL acts as a nodal point for receipt and disposal of all public grievances. Shri Paul Ranjan, Director (Finance) is the Director (Public Grievances) of CSL. Shri Bejoy Bhasker, Director (Technical) is the Grievance Officer of the company for the redressal of grievances. Particulars of the Director (Public Grievances) to attend to the public grievances received in CSL are given below:

निदेशक (लोक शिकायत) <b>Director</b> (Public Grievances)	:	श्री पॉल रंजन डी Shri Paul Ranjan D
दूरभाष / Telephone	:	0484-6641222
दूरभाष / Telephone	:	0484-2384001
ई-मेल / E-mail	:	paulranjan@cochinshipyard.com

#### **प्रक्रिया / Procedure:**

लोक शिकायत के प्रसंस्करण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

The procedure for processing of public grievances is as follows:

- I. शिकायतों को आसानी से प्रस्तुत करने की सुविधा केलिए, उत्तर गेट (सूचना केन्द्र), दक्षिण गेट, पोत मरम्मत कार्यालय भवन, मोल्ड लॉफ्ट बिल्डिंग और मुख्य कार्यालय भवन में लोक शिकायत बॉक्स लगाए गए हैं ।

To facilitate easy submission of grievances, Public Grievance Boxes has been placed at North Gate (Information Centre), South Gate, Ship Repair Office Building, Mould Loft Building and Main Office Building.

- II. सभी लोक शिकायतें कार्मिक एवं प्रशासन विभाग में प्राप्त की जाएंगी । यदि कंपनी के विभागों द्वारा किसी भी लोक शिकायत को सीधे प्राप्त किया जाता है, तो, संबंधित विभागाध्यक्ष उसी को

प्रारंभिक प्रसंस्करण केलिए कार्मिक एवं प्रशासन विभाग को अग्रेषित करना चाहिए । शिकायत की पावती, याचिकाकर्ता को शिकायत प्राप्त होने के 3 दिनों के अंतर्गत भेजी जाएगी ।

All public grievances will be received in the Department of Personnel & Administration. In case any public grievance is received directly by other departments of the company, the concerned Heads of Departments should forward the same to the Department of Personnel & Administration for initial processing. An acknowledgement of the receipt of the grievance will be sent to the petitioner within 3 days of receipt.

- III. शिकायत की प्रकृति के आधार पर, मामले को शिकायत की जांच हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा ।

Depending upon the nature of grievance, the matter will be referred to the Head of the concerned Department for examining the grievance/ complaint.

- IV. सामान्य स्थिति में, संबंधित विभागों को शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए और आगे की प्रक्रिया केलिए कार्मिक और प्रशासन विभाग को सूचना देते हुए इसकी प्राप्ति के दो महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए ।

In normal case, the concerned departments should process the grievance/ complaint and take a decision within two months of its receipt under intimation to the Department of Personnel & Administration for further processing.

- V. लोक शिकायत निदेशालय (कैबिनेट सचिवालय) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के मामले में, उसी को कार्मिक और प्रशासन विभाग को सूचना देते हुए 30 दिनों के भीतर जांच और निर्णय लिया जाना चाहिए ।

In the case of grievances received through the Directorate of Public Grievances (Cabinet Secretariat), the same must be examined and decision taken within a period of 30 days under intimation to the Department of Personnel & Administration.

- VI. आसाधारण मामले में जहां एक निर्णय उपरोक्त सूचित समय-सीमा से अधिक होने की संभावना है, कार्मिक और प्रशासन विभाग सूचित करना चाहिए ताकि शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को एक अंतरिम उत्तर भेजा जा सके ।

In exceptional cases where a decision is likely to exceed the time limits indicated above, the Department of Personnel & Administration should be intimated so that an interim reply can be sent to the petitioner within a period of 15 days of receiving the grievance.

- VII. जहां याचिकाकर्ता से सीधे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, वही संबंधित विभागों द्वारा कार्मिक और प्रशासन विभाग की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है ।

Wherever clarifications directly from the petitioner are required, the same may be obtained by the concerned departments with the assistance of the Department of Personnel & Administration.

- VIII. लोक शिकायत प्रक्रिया के निवारण के अधीन प्राप्त शिकायतों के प्रसंस्करण केलिए हरेक विभाग एक अलग पंजी रखते हैं । इस पंजी को जांच केलिए वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर कार्मिक और प्रशासन विभाग को भेज दिया जाना चाहिए ।

Individual Departments maintain a separate register for processing the complaints received under the Redressal of Public Grievances procedure. This register should be forwarded to the Department of Personnel & Administration on the last working day of every quarter of the year for scrutiny.

- IX. शिकायत अधिकारी हर बुधवार 1400 बजे और 1600 बजे के बीच शिकायत प्राप्त करने हेतु जनता के लिए उपलब्ध और सुलभ होगा ।  
The Grievance officer shall be available and accessible to the public to receive the grievance between 1400 and 1600 hrs; every Wednesday.
- X. प्राप्त सभी लोक शिकायतों को कार्मिक और प्रशासन विभाग में रखे गए एक सामान्य पंजी में दर्ज किया जाएगा ।  
All public grievances received shall be entered in a General Register kept in the Department of Personnel and Administration.
- XI. हरेक लोक शिकायत, भले ही वह एक ही व्यक्ति से पहले की शिकायत की पुनरावृत्ति हो, जिसे अत्यंत सहानुभूति और विचार के साथ संभाला जाएगा और इसका उत्तर दिया जाएगा । उत्तर विनम्र भाषा में और संयमी होना चाहिए । इस तरह के जवाब में, 'इस विषय पर आगे कोई अभ्यावेदन प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा' जैसे अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।  
Every Public Grievance, even if it is a repetition of an earlier grievance from the same person, shall be attended to with utmost sympathy and consideration and replied to. The replies shall be in polite language and self-contained. Expressions such as 'no further representation on the subject will be entertained' shall not be used in such replies.
- XII. समाचार पत्रों के कॉलमों में व्यक्त की गई सार्वजनिक शिकायतों को भी एक विशिष्ट शिकायत के रूप में लिया जाएगा और समयबद्ध आधार पर उन शिकायतों के निवारण के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और उत्तर जारी किया जाएगा।  
Public grievances expressed in the columns of newspapers shall also be taken as a specific grievance and quick action shall be taken for redressing those grievances on a time bound basis and replies issued.
- XIII. सामान्य मामले में, शिकायत प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को अंतिम जवाब दिया जाएगा । लोक शिकायत निदेशालय (कैबिनेट सचिवालय) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के मामले में, 6 सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब दिया जाएगा । उपरोक्तानुसार कार्रवाई के लिए निर्धारित समय का पालन सभी संबंधितों द्वारा किया जाएगा ।  
In normal cases the final reply will be given to the petitioner within 60 days of receipt of grievance. In the case of grievances received through the Directorate of Public Grievances (Cabinet Secretariat), a reply will be given within a period of 6 weeks. The time schedule for action fixed as above shall be followed by all concerned.
- XIV. शिकायत प्रक्रिया निवारण प्रणाली के संचालन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट सूचना के लिए सीएसएल निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी ।  
A quarterly report on the operation of the grievance procedure redressal system would be submitted to the CSL Board of Directors for information.
- XV. दिए जानेवाले सभी उत्तर निदेशक (लोक शिकायत) के अनुमोदन के साथ जारी किया जायेगा।  
All replies to be given shall be issued with the approval of the Director (Public Grievances).

**अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों के लिए लागू शिकायत प्रक्रिया :** अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों के लिए लागू शिकायत प्रक्रिया नवंबर 2016 में पुनः अधिसूचित की गई थी और कंपनी के इंटरनेट में उपलब्ध है ।



**Grievance Procedures applicable to Officers, Supervisors and Workmen:** The grievance procedures applicable to Officers, Supervisors and workmen was renotified in Nov 2016 and is available in the company's intranet.

**लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (पीजीआरएएमएस) :** मंत्रालय के निदेशानुसार, लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (पीजीआरएएमएस) का प्रयोग सीएसएल द्वारा किया जाता है और सीएसएल से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाता है ।

**Public Grievance Redressal and Monitoring System (PGRAMS):** In line with the Ministry's direction, the Public Grievance Redressal and Monitoring System (PGRAMS) is accessed by CSL and the grievances pertaining to CSL are addressed immediately.

सीएसएल के मुख्य द्वार पर एक लोक शिकायत बॉक्स रखा गया है और जनता से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक पंजी भी रखा जा रहा है ।

A Public Complaints Box is placed at the main entrance of CSL and a register is also being maintained to record complaints received from the public.

## **20. शिकायत समिति / GRIEVANCE COMMITTEE**

कोचीन शिपयार्ड ने सभी अनुबंध में जहां मूल्य 100 लाख से ऊपर है, शिकायत निवारण के लिए एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में एक शिकायत समिति का गठन किया है । इस अनुबंध के पार्टियों इस समिति से संपर्क कर सकते हैं जब वे अनुबंध की देखरेख करनेवाले कोचीन शिपयार्ड के संबंधित विभाग के साथ चर्चा के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा करने में असमर्थ होते हैं । वर्तमान में समिति को निम्नानुसार गठित किया जाता है:

Cochin Shipyard has constituted a Grievance Committee as an alternate mechanism for redressal of grievances in all contracts where value is above Rs 100 lakhs. The parties to this contract can approach this committee in case they are unable to settle their disputes through discussions with concerned department of Cochin Shipyard overseeing the contract. Presently the committee is constituted as follows:

<b>सदस्य का नाम Name of the Member</b>	<b>दूरभाष सं. Phone No.</b>	<b>सदस्यता Membership</b>
श्री सुरेश कुमार ए वी, महा प्रबंधक (पोत मरम्मत) Shri Suresh Kumar AV, GM(SB)	9895765868	समिति का अध्यक्ष Chairman of the committee
श्री वी जे जोस, महा प्रबंधक (वित्त) Shri V J Jose, GM (Finance)	9895705112	समिति का सदस्य Member of the committee
श्री सुब्रमण्यम के के, सहायक महा प्रबंधक (पीएंडए) Shri Subramaniam K K, AGM(P&A)	8138001152	समिति का सदस्य Member of the committee

## **21. कोचीन शिपयार्ड सतर्क तंत्र और मुखबिर नीति**

### **COCHIN SHIPYARD VIGIL MECHANISM AND WHISTLE BLOWER POLICY**

कोचीन शिपयार्ड सतर्क तंत्र और मुखबिर नीति जो दिनांक 22 फरवरी, 2012 को आयोजित निदेशक मंडल की 198 वीं बैठक में स्वीकार किया था, बाद में दिसंबर 14, 2016 को इसे संशोधित किया गया, सीएसएल के सतर्क तंत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं । सीएसएल के मुखबिर नीति निम्न लिंक में उपलब्ध है :

The Cochin Shipyard Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy adopted by the Board of Directors at the 198<sup>th</sup> Meeting held on February 22, 2012 subsequently amended on December 14, 2016 is functioning as Vigil Mechanism of CSL. The Whistle Blower Policy of CSL is available at the below link:

<https://www.cochinshipyard.com/links/CSLVIGILMECHANISMANDWHISTEBLOWERPOLICY.pdf>

## **22. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन**

### **IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005**

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को दिनांक 12.10.2005 से लागू किया गया था और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सभी अपेक्षित नियुक्ति की गई थी। कंपनी के बारे में सीएसएल वेबसाइट में स्वैच्छिक प्रकटीकरण किया गया है। सार्वजनिक रूप से सूचना मांगने के अनुरोधों की निगरानी के लिए एक पंजी रखा जा रहा है और संबंधितों द्वारा उत्तर समन्वित किया जा रहा है।

As per the directives of the Government of India, the Right to Information Act, 2005 was implemented w.e.f. 12-10-2005 and all the required appointment for implementation of the Act were made. Voluntary disclosures have been made in the CSL website about the Company. A Register is also being maintained for monitoring the requests from public seeking information and the replies by the concerned are also being coordinated.

## **23. सीएसएल - नागरिक चार्टर**

### **CSL- IT'S CITIZENS' CHARTER**

यह नागरिक चार्टर भारत सरकार के निदेशों के अनुसार तैयार किया गया दस्तावेज़ है और यह मानक सेवाएं, सूचना, विकल्प और परामर्श, गैर-भेदभाव और पहुँच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और नकद के मूल्य, जिसमें संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नागरिक/ग्राहक से संगठन की अपेक्षाओं शामिल हैं, के संबंध में अपने नागरिकों/ग्राहकों की ओर सीएसएल की प्रतिबद्धता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

This Citizens Charter is a document prepared as per the directives of the Government of India and it represents a systematic effort to focus on the commitment of CSL towards its citizens / clients in respect of standard of services, information, choice and consultation, non-discrimination and accessibility, grievance redress, courtesy and value for money, including expectations of the Organisation from the citizen / client for fulfilling the commitment of the Organisation.

सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अध्यक्षता में भारत सरकार में स्थापित नागरिक चार्टर पर कोर-ग्रुप द्वारा तय किए अनुसार, विभागध्यक्ष (मानव संसाधन) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो सीएसएल में नागरिक चार्टर के गठन और कार्यान्वयन का समन्वय और जांच करेंगे।

As decided by the Core-group on Citizens' Charter set up in Government of India under the Chairmanship of the Secretary, Ministry of Personnel, PG and Pensions, the HoD (HR) has been designated Nodal Officer to coordinate and monitor the formulation and implementation of the Citizens Charter in CSL.

## **24. निगमित शासन**

### **CORPORATE GOVERNANCE**

कंपनी दृढ़ता से मानती है कि एक अच्छे निगमित शासन शेयरधारक के मूल्य और मौजूदा प्रतिस्पर्धी व्यापार परिदृश्य में इसकी छवि को बढ़ाने का एक पूर्वापेक्षा है। कंपनी की नीतियों और कार्यों का उद्देश्य व्यापार के कुशल संचालन और बड़े पैमाने पर शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना है। कंपनी ने अपने सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाकर अपना फोकस सुधारने हेतु लगातार प्रयास किया है। कंपनी का ग्राहक केन्द्रित होना जारी है।

The Company strongly believes that good Corporate Governance is pre-requisite for enhancing shareholder value and its image in the prevailing competitive business scenario. The policies and practices of the Company are aimed at efficient conduct of business and effectively meeting its obligations to shareholders, customers, employees and society at large. The Company has consistently sought to improve its focus by increasing transparency and accountability to all its stakeholders. The Company continues to be customer focus.

## 25. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

### **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार सीएसआर नीति को अपनाया है। कंपनी समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी की नीति अनुमोदन के अनुसार सीएसआर गतिविधियों का संचालन करती है। सीएसआर नीति की गतिविधियों को वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित सीएसआर बजट और वास्तविक खर्च इस प्रकार हैं :

The Company has adopted CSR Policy as per the requirements of the Companies Act and DPE Guidelines. The company undertakings CSR activities as per the policy approvals of Competent Authority from time to time. The activities of CSR policy are published on the website. The audited CSR budget and actual spent for the last three years are as follows:

वर्ष Year	सांविधिक बजट (करोड़ रुपए में) Statutory Budget (Rs. Crores)	वास्तविक (करोड़ रुपए में) Actual (Rs. Crores)
2017-18	8.54	8.57
2016-17	7.22	7.24
2015-16	6.23	6.27

## 26. अस्वीकरण

### **DISCLAIMER:**

इस चार्टर में वर्णित कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं, मान्यताओं या भविष्यवाणियों आदि को लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में प्रकृति में दूरदेशी है। वास्तविक परिणाम उन व्यक्ति या निहित से वास्तव में अलग-अलग हो सकते हैं। कंपनी के संचालन में विभिन्नता लानेवाले मुख्य कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करनेवाले आर्थिक शर्तें, देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत की स्थिति, सरकारी नीतियां और विनियम और कानून तथा अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

The objectives, expectations, assumptions or predictions etc. of the Company as described in this Charter may be forward-looking in nature, within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. The important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions effecting demand / supply, price conditions in the domestic and international market, Government policies and regulations and statutes and other incidental factors.

\*\*\*\*\*